**Note :** The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 460(E), dated the 8th October, 1996 and subsequently amended vide the notification numbers :—

(1) G.S.R. 633(E), dated the 14th October, 1998

(2) G.S.R. 572(E), dated the 27th July, 1999

(3) G.S.R. 262(E), dated the 30th March, 2001

(4) G.S.R. 564(E), dated the 30th July, 2001

(5) G.S.R. 22(E), dated the 9th January, 2003

(6) G.S.R. 654(E), dated the 31st October, 2005

(7) G.S.R. 14(E), dated the 13th January, 2006

(8) G.S.R. 140(E), dated the 14th July, 2007

(9) G.S.R. 10(E), dated the 8th January, 2008

(10) G.S.R. 137(E), dated the 10th July, 2008 and

(11) G.S.R. 598(E), dated the 25th August, 2009

---

## जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2010

**सा.का.नि. 33.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (भंडारी) भर्ती नियम, 1971 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में भंडारी पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, भंडारी, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद है अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| भंडारी | 31* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. | चयन | नहीं | 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) ।<br>**टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)<br>**टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या वाणिज्य में डिग्री; और | नहीं | सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । |

| (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|
| (ii) स्टोर बहियों और लेखाओं के रखरखाव में तीन वर्ष का अनुभव ।<br>**टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।<br>**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | | |

| **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा |
|---|---|
| (11) | (12) |
| प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा | प्रोन्नति : वेतन बैंड 1, रु. 5200-20200 + 1900 ग्रेड वेतन में सहायक भंडारी की श्रेणी में से, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बरेगी :-**<br>1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष<br>2. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य<br>3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य | लागू नहीं होता । |

[फा. सं. 23/04/2009-सीजीडब्ल्यूबी]

एम. एन. सुकुमारन, अवर सचिव

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 29th January, 2010

**G.S.R. 33.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Store Keeper) Recruitment Rules, 1971, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Store Keeper in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Store Keeper, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification pay band and grade pay or pay scale.—**The number of post, its classification pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualification.—** No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of posts | Classification | Pay Band and Grade Pay of Pay scale | Whether selection post or non-selection post | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Store Keeper | 31*(2009) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-1, Rs. 5200–20200 + Grade Pay Rs. 2400 | Selection | No | Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time).<br>**Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, |

| | (7) |
|---|---|
| | Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br>**Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| (i) Degree in Science or Commerce from a recognised University; and (ii) three years' experience in the maintenance of stores ledgers and accounts.<br>**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case the candidates, otherwise well qualified.<br>**Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the posts reserved for them. | No. | Two years for direct recruits. |

| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made |
|---|---|
| (11) | (12) |
| Promotion failing which direct recruitment | Promotion : Assistant Store Keeper in the pay band 1, Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900 with eight years regular service in the grade. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :**<br>1. Director (Administration) Central Ground Water Board —Chairman<br>2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board —Member<br>3. Administrative Officer, Central Ground Water Board —Member | Not applicable. |

[F. No. 23/04/2009-CGWB]

M. N. SUKUMARAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2010

**सा.का.नि. 34.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (मैकेनिक) भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड मैकेनिक भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (मैकेनिक) भर्ती नियम, 2005 में, अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :–

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| मैकेनिक | 110* (2010)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. | चयन | नहीं | **नोट** :–18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में, शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) ।<br>**टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और |

| (7) |
|---|
| निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)<br>**टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं । | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| **टिप्पण :** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुलय;<br>(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में प्रमाणपत्र; और<br>(iii) डीजल ओर गैसोलिन इंजन, ड्रिलिंग रिंग मानों के प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत करने का पांच वर्ष का अनुभव ।<br>**टिप्पण :** अनुभव संबंधी अर्हताएं केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उनके लिए जो करण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। | नहीं | दो वर्ष। |

| **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| (11) | (12) |
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा | प्रोन्नति : ऐसा तकनीकी आपरेटर (यांत्रिक), जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (13) | | (14) |
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे** | | लागू नहीं होता । |
| 1. निदेशक (प्रशासन) | —अध्यक्ष | |

| (13) | |
|---|---|
| 2. अधीक्षण इंजीनियर | —सदस्य |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी | —सदस्य |
| 3. केंन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय/विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी | —सदस्य |

[फा. सं. 23/23/2009–सी.जी.डब्ल्यू.बी.]

एम. एन. सुकुमारन, अवर सचिव

**टिप्पणी :** मूल नियम, सा.का.नि. सं. 295, तारीख 3 सितम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 4th February, 2010

**G.S.R. 34.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board (Mechanic) Recruitment Rules 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Mechanic) recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board (Mechanic) recruitment Rules, 2005, for the Schedule, the following Schedule, shall be substituted, namely :—

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Pay Band and Grade Pay/pay scale | Whether selection post or non-selection post | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Mechanic | 110* (2009) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-1 Rs. 5200–20200 + Grade Pay Rs. 2400 | Selection | No | Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).<br>**Note 1 :** The crucial date of determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in |

| (7) |
|---|
| Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br><br>**Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| (i) Matriculation from recognized Board or equivalent;<br>(ii) Industrial Training Institute Certificate in Automobile Engineering; and<br>(iii) five years experience in operation, maintenance and overhauling of diesel and gasoline engine, drilling rigs, vehicles.<br>**Note :** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. | No | Two years |

| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made |
|---|---|
| (11) | (12) |
| By promotion failing which by direct recruitment. | **Promotion :** Technical Operator (Mechanical) with eight years regular service in the grade. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (13) | (14) |
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :**<br>(i) Director (Administration) —Chairman<br>(ii) Superintending Engineer —Member<br>(iii) Administrative Officer —Member<br>(iv) A Group 'A' Officer from another Central Government Ministry/Department —Member | Not applicable. |

[F. No. 23/23/2009-CGWB]

M. N. SUKUMARAN, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published *vide* number G.S.R. 295, dated the 3rd September, 2005

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2010

**सा.का.नि. 35.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (मास्टर मैकेनिक) भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं; अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड मास्टर मैकेनिक भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।
   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (मास्टर मैकेनिक) भर्ती नियम, 2005 की, अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :–

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| मास्टर मैकेनिक | 13* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | पी.बी.-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. | चयन | नहीं | 18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 45 वर्ष की जा सकती है ।)<br>**टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख |